16\08

निबंधन सं0 पी0 टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख 19230 (श0)
(सं0 पटना 281) पटना, बुधवार 23 अप्रील 2008

विधि विभाग

अधिसूचना
23 अप्रील 2008

सं0 एल0जी0-1-09/2008/लेज: 96 - बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 अप्रील, 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 16,2008]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2008,

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना- भारत गणराजय के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2008 कहा जाएगा।

(2) यह तुरत प्रवृत होगा।

2. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-18(17) का प्रतिस्थापना।- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) की धारा-18(17) को निम्न रूप से पदस्थापित की जाएगी:--

(17)- ''बिहार राज्य अधिवक्ता संघ के स्थान पर बिहार स्टेट बार कौंसिल प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-26 (6)(ii) का प्रतिस्थापन।-बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) की धारा-26 (6)(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

(ii)''इस अधिनियम और इसके अधीन बने परिनियमों के अधीन रहते हुए विभागाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा यथासंभव चक्रानुक्रम के सिद्धांत का पालन करते हुए किया जायेगा। इन नियुक्तियों के संबंध में विश्वविद्यालय के अभिषद को प्रतिवेदित किया जाएगा।''

4. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-26 (6)(111) (iv) का जोड़ा जाना 1- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) की धारा-26 (6) के खण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित खण्ड (iii) एवं (iv) जोड़ा जाएगा:-

(iii)'' विभागाध्यक्ष के पद की कालावधि तीन वर्षों की होगी। सामसान्यत: किसी व्यक्ति को लागातार दो बार विभागाध्यक्ष नियुक्त नही किया जाएगा।''

(iv)''एक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पदस्थापन की अवधि अधिकतम पांच वर्षों की होगी।''

5. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-36(6) के परन्तुक का प्रतिस्थापन 1- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 23,1976) की धारा-36 (6) का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"परन्तु वैसे परिनियम, जिनमें वित्तीय संग्राहयता निहित है, राज्य सरकार पुर्वानुमति के बिना प्रवृत नहीं किये जा सकेंगे।"

6. बिहार अधिनियम 23,1976 में नयी धारा-36 (7) का जोड़ा जाना 1- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा-36 की उप-धारा (6) के बाद निम्नलिखित एक नई उप-धारा-36(7) को जोड़ा जाएगा:-

7.-''इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान अंतरविंष्ट किसी बात के होते हुए भी अगर किसी भी समय कुलाधिपति संतुष्ट है कि समान हित में किसी विषय पर परिनियम गठित किया जाना आवश्यक है, तो कुनाधिपति के द्वारा गठित तीन कुलपतियों के समिति के परामर्श से परिनियम प्रारूप तैयार कर सभी कुलपतियों को मंतव्य हेतु भेजेंगे। कुलपतियों द्वारा प्रारूप की प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर अपना मंतव्य कुलाधिपति को भेज देना होगा।कुलाधिपति द्वारा कुलपतियों से प्राप्त मंतव्य के आलोक में आवश्यक संशोधन करते हुए परिनियम को अनुमोदित्त किया जा सकेगा। यह परिनियम विश्वविद्यालयों में अनुमोदन की तिथि से प्रवृत्त समझा जाएगा।

परन्तु राज्य सरकार समान हित में सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले किसी विषय पर परिनियम गठित करने का परामर्श कुलाधिपति को दे सकेगी।"

7. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-38 की उप-धारा (3) में एक नये परन्तुक का जोड़ा जाना 1-बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) की धारा-38 (3) में निम्नसिखित नया परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

"परन्तु वैसे अध्यादेश, जिनमें वित्तीय संग्राहयता निहित है, राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रवृत्त नही किये जा सकेंगे।"

8. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-39 (2)(ii) में नये परन्तुक का जोड़ा जाना 1-बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) की धारा-39 (2)(ii) में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

'' परन्तुक वैसे नियमावली, जिनमें वित्तीय संग्राह्यता निहित है, राज्य सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रवृ7ा नहीं किये जा सकेगें।''

9. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 (i)(4) का प्रतिस्थापन।- उक्त अधिनियम में धारा-57 (i)(4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''(4)-एकेडमिक कांन्सिल द्वारा अनुमोदित कम से कम दस नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा मनोनीत तीन विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं होगें तथा उनमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जातिये अनुसूचित जन-जाति के होंगे दो राज्य से बाहर के होंगें। एकेडमिक कांन्सिल द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के कम से कम दो सदस्यों का नाम भेजा जायेगा।''

10. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 (i) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

''परन्तु चयन समिति में महिला एवं अति पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) का प्रतिनिधितत्व नहीं हो तो राज्य सरकार यथास्थिति महिला अथवा अति पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) या दोनों के अतिरिक्त सदस्यों का मानोनयन कर सकेगी।''

11. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-57 (क)(1) में एक परन्तुक का जोड़ा जाना।- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23,1976) की धारा-57 (क)(1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-

''परन्तु धर्म एवं भाषा के आधार पर सम्बद्धता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्रबंध समितियों द्वारा विश्वविद्यालय में गठित चयन समिति के अनुमोदन से शिक्षकों को नियुक्त, बरर्खास्त, हटाना अथवा सेवा समाप्ति एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किया जा सकेगा।''

12. व्यावृत्ति।- अधिनियम की धारा-18 (17), 26 (6)(ii), धारा-36 (6) के परन्तुक और 57 (1)(4) का प्रतिस्थापन होते हुए भी, किया गया कुछ भी या विनिश्चय अथवा की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जाएगा या की गयी समझी जाएगी और अधिनियम की धारा-18 (17), 26 (6)(ii), धारा-36 (6) के परन्तुक और 57 (1)(4) के प्रतिस्थापन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

----

23 अप्रील 2008

सं0-एल0जी0-1-09/2008/97-लेज- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 अप्रील,2008 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 16,2008]

The Bihar State University (Amendment) Act, 2008

AT

ACT

To amend the Bihar State Universities Act, 1976 (Bihar Act 23,1976)

Preamble-Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the fifty ninth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement-(1) This Act may be called the Bihar State Universities (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

2.Substitution of Section- 18 (17) of the Bihar Act 23,1976- In the said Act the section-18(17) shall be substituted by the following:-

"(17)-The Bihar State lawyer's association shall be substituted by Bihar State Bar Council."

3. Substitution of Section-26(6) (ii) of the Bihar Act 23,1976- In the said Act the section-26(6)(*ii*) shall be substituted the following:-

"(*ii*)- subject to the provisions of this Act and the provisions of the statute made thereunder the Head of the Department shall be appointed by the Vice-Chancellor by observing, as far as possible, the principle of rotation. Such appointment's shall be reported to the syndicate of the University."

4. Addition of a Section- 26(6) (*iii*) and 26 (6) (iv) of the Bihar Act 23, 1976- The following new clauses (*iii*) and (*iv*) shall be Added after Section-26 (6) (*ii*) of the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act, 23, 1976),

"(*iii*)- The Head of the Department shall hold office for a period of three years. A person shall not ordinarily be appointed as Head of the Department for a second consecutive term."

"(*iv*)- The principal shall hold office for a maximum period of five years in one college."

5. Substitution of Proviso in Section-36(6) of the Bihar Act 23, 1976- The Proviso shall be substituted by the following to section-36(6) of the Bihar Act 23, 1976:-

" Provide that if there be any financial implication which may arise under the staute, it shall not be enforceble unless prior approval of State Government has been obtained."

6. Addition of a New Section- 36 (7) of the Bihar Act 23, 1976- The following new sub-section (7) shall be Added after Section-36(6) of the Bihar State University Act, 1976 (Bhiar Act 23, 1976):-

" (7) Notwithstanding anything contained in the above clause, if at any time, the Chancellor is satisfid that it is necessary to frame Statute of any subject of common interest, after obtaining the advice of the Committee of there Vice-Chancellors constituted by the Chancellor, shall send the Draft Statute to all the Vice-Chancellors for apinion, who shall send their opinion within ten days from the receipt of draft. The Chancellor shall give assent to the Statute with such amendment as he may deem necessary in the light of the opinion of the Vice-Chancellors. The Statute shall be deemed to come into force in the Universities from the date of assent:

Provided that the State Govt. may also suggest the Chancellor to frame Statute of any subject of common interest of all the Universities."

7. Addition of new Proviso in Section- 38(3) of the Bihar Act 23, 1976- The following new Proviso shall be added to section-38(3) of the Bihar Act23,1976:-

" Provided that any ordinance having financial implication shall not be enforceable unless prior approval of State Government has been obtained."

8. Addition of new Proviso in Section-39(2)(*ii*) of the Bihar Act 23, 1976-The following new Proviso shall be added to section-39(2)(ii) of the Bihar Act23,1976:-

" Provided that any regulation having financial implication shall not be Enforceable unless prior approval of State Government has been obtained."

9. substitution of Section-57 (1) (4) of the Bihar Act 23, 1976- In the said Act the section-57 (1)(4) shall be substituted by the following:-

"(4)-"Three expert not connected with the University to be nominated by the Vice-Cancellor

from a panel of not less that ten names approved by the Academic Coouncil for each post out of which, at least one member should belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribes and two members shall be from out-side the State. The Academic Council shall send name of not less that two members belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes category."

10. Addition of Proviso in Section-57(1) of the Bihar Act 23, 1976- The following new Proviso shall be added to section-57(1) of the Bihar Act 23, 1976:-

" Provided that if there is no representation of Woman or extremely backward class (Schedule-1) or both in the slection committee then it may be open to the State Government to nominate additional members from amongst Woman or extremely backward class(Schedule-1) or both as the case may be."

11. Addition of a Provision in Section-57(A) (1) of the Bihar Act 23, 1976- The following new proviso shall be Added after Section-57(A) (1) of the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act23, 1976):-

" Provided that the Governing Bodies of affiliated minority college's based on religion and language shall appoint, dismiss, remove or terminate the services of teacher's or take disciplinary action against them with the approval of the Selection Committee of the University."

12. Saving- Notwithstanding substitution of section-18(17), 26(6)(ii), Proviso in Section-36(6) and 57 (1)(4) of the Act, anything done or decision or action taken or shall be deemed to have been validly taken and shall not been open to question on the ground of substitution of section-18 (17),26 (6) (*ii*), proviso in Section-36(6) and 57 (1)(4) of the Act.

By order of the Governor of Bihar,
YOGENDRA PRASAD,
Secretary of Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 281--571+400डी0 टी0 पी0।